मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत याचिका की नज़ीरें

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायिक निर्णयों (Precedents) का सारिणीबद्ध विश्लेषण एवं कानूनी व्याख्या

याचिकाकर्ता: रूपेन्द्र सिंह शाक्य (राजस्व लेखपाल)

प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (जनपद-बदायूँ)

याचिका का प्रकार: रिट याचिका (सिविल) - अनुच्छेद 226

चुनौती: कारण बताओ/वसूली नोटिस (राशि: ₹3,69,720/-)

1. मामले की संक्षेप में पृष्ठभूमि (Case Background)

याचिकाकर्ता रूपेन्द्र सिंह शाक्य वर्ष 2006 में मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत राजस्व लेखपाल के पद (द्वितीय श्रेणी / Class-III, ग्रेड पे ₹1900, वर्तमान ₹2000) पर नियुक्त हुए थे। वर्ष 2009 तथा 2019 में विभागीय कार्यवाहियों के तहत दो-दो वेतन वृद्धियाँ रोकने का दण्डादेश दिया गया था, जिसके विरुद्ध विभागीय अपीलें (Appeals) मा० जिलाधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गईं जो वर्तमान में भी लंबित हैं।

विभाग की ओर से बिना किसी कटौती के नियमित वेतन का भुगतान किया जाता रहा। वर्ष 2024 में ऑडिट आपत्ति के पश्चात तहसीलदार सदर, बदायूँ द्वारा दिनांक 23.07.2026 को कारण बताओ नोटिस जारी कर ₹3,69,720/- की अधिक भुगतान की वसूली याचिकाकर्ता के वेतन से करने का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता का मुख्य आधार है कि उसने कोई कूटरचना या गलत बयानी (Misrepresentation/Fraud) नहीं की है; अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित स्थापित कानूनी सिद्धांतों (नज़ीरों) के अनुसार यह वसूली पूर्णतः असंवैधानिक एवं अवैध है।

2. याचिका में संदर्भित प्रमुख नज़ीरों की विस्तृत सारिणी (Table of Legal Precedents)

क्र.	नज़ीर / वाद का नाम (Citation)	न्यायालय एवं तिथि	प्रतिपादित मुख्य कानूनी सिद्धांत (Ratio Decidendi)	याचिकाकर्ता के मामले में अनुप्रयोग
1	**स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य बनाम रफ़ीक मसीह (व्हाइट वाशर) एवं अन्य** **2015 (4) SCC 334**	मा० सर्वोच्च न्यायालय (18 दिसम्बर 2014)	विभाग की गलती से हुए अतिरिक्त वेतन भुगतान की वसूली 5 परिस्थितियों में सर्वथा वर्जित (Impermissible) है: (i) तृतीय (Class-III) एवं चतुर्थ श्रेणी (Class-IV) कर्मचारियों से वसूली। (ii) सेवानिवृत्त या 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से। (iii) 5 वर्ष से अधिक पुराने किए गए भुगतान की वसूली। (iv) उच्च पद का कार्य कराने के एवज में दिए वेतन की वसूली। (v) जहाँ वसूली कर्मचारी पर अत्यधिक कठोर, अन्यायपूर्ण व स्वेच्छाचारी प्रभाव डाले।	**पूर्णतः लागू:** याचिकाकर्ता Class-III लेखपाल है। कथित अतिरिक्त भुगतान वर्ष 2009 से (15 वर्ष से अधिक पुराना) है। अतः रफ़ीक मसीह का बिंदु (i), (iii) एवं (v) सीधे संरक्षण देता है।
2	**जोगेश्वर साहू एवं अन्य बनाम जिला जज कटक एवं अन्य** **2025 INSC 449 / CA 4989/2025**	मा० सर्वोच्च न्यायालय (04 अप्रैल 2025)	यदि अतिरिक्त भुगतान कर्मचारी द्वारा किसी धोखाधड़ी (Fraud) या गलत बयानी (Misrepresentation) के बिना हुआ हो, या नियोक्ता द्वारा नियमों की गलत व्याख्या/गणना के कारण हुआ हो, तो ऐसी राशि असूलनीय (Non-recoverable) है। प्राकृतिक न्याय (सुनवाई का अवसर) दिए बिना वसूली अवैध है।	**पूर्णतः लागू:** याचिकाकर्ता ने वेतन निर्धारण में कोई कूटरचना या धोखाधड़ी नहीं की। विभाग ने स्वयं गलती से भुगतान किया, अतः साम्या (Equity) के आधार पर वसूली नहीं हो सकती।
3	**सैयद अब्दुल कादिर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** **2009 (3) SCC 475**	मा० सर्वोच्च न्यायालय (2009)	वसूली से राहत कर्मचारियों का अधिकार नहीं बल्कि न्यायालय द्वारा साम्या (Equity) एवं न्यायिक विवेक के तहत दी जाने वाली राहत है। नियमों की गलत व्याख्या के कारण हुए अतिरिक्त भुगतान के लिए कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।	विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का दंड कर्मचारी पर वसूली के रूप में नहीं डाला जा सकता।
4				

क्र.	नज़ीर / वाद का नाम (Citation)	न्यायालय एवं तिथि	प्रतिपादित मुख्य कानूनी सिद्धांत (Ratio Decidendi)	याचिकाकर्ता के मामले में अनुप्रयोग
	साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य **1995 Supp (1) SCC 18**	मा० सर्वोच्च न्यायालय (1995)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा गलत अर्थ निकालने या नियमों के गलत प्रयोग से यदि उच्च वेतनमान का लाभ दे दिया गया हो और उसमें कर्मचारी की कोई धोखाधड़ी न हो, तो भुगतान की गई राशि असूलनीय है।	सैलरी सॉफ्टवेयर या विभाग द्वारा बिना रोके वेतन जारी करने की गलती से कर्मचारी निर्दोष सिद्ध होता है।
5	**श्याम बाबू वर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया** **1994 (2) SCC 521**	मा० सर्वोच्च न्यायालय (1994)	दीर्घकालिक समय (उदा. 11 वर्ष) तक दिए गए उच्च वेतनमान को यदि बाद में घटाया भी जाता है, तो पूर्व में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली करना न्यायसंगत नहीं है।	15 वर्षों (2009-2024) तक किए गए भुगतान को अचानक असूलना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
6	**कर्नल बी.जे. अक्कारा बनाम भारत सरकार** **2006 (11) SCC 709**	मा० सर्वोच्च न्यायालय (2006)	निचले स्तर के कर्मचारी अपना समस्त वेतन परिवार के भरण-पोषण एवं दैनिक आवश्यकताओं में व्यय कर देते हैं। वर्षों बाद वसूली करने से उनके जीवनयापन पर अत्यधिक प्रतिकूल एवं कठोर प्रभाव पड़ता है।	लेखपाल का पद निचले स्तर का है, वसूली से परिवार का जीवनयापन संकट में पड़ जाएगा।
7	**थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य एवं अन्य** **2022 SCC OnLine SC 536**	मा० सर्वोच्च न्यायालय (2022)	नियोक्ता द्वारा लंबे समय तक किए गए गलत भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद या वर्षों बाद करना साम्या और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।	लंबे समय तक शांत रहने के बाद एकाएक वसूली नोटिस जारी करना पूरी तरह मनमाना (Arbitrary) है।

3. मुख्य नज़ीरों का विस्तृत कानूनी विश्लेषण एवं व्याख्या

(A) रफ़ीक मसीह निर्णय (State of Punjab v. Rafiq Masih) का विस्तृत विश्लेषण

मा० सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में दो न्यायाधीशों की पीठ ने **रफ़ीक मसीह (2014)** मामले में यह ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि **"साम्या और न्याय (Equity & Good Conscience)"** का सिद्धांत राज्य की सभी कार्यवाहियों का आधार होना चाहिए।

रफ़ीक मसीह वाद में निर्धारित 5 स्वर्णिम नियम (Five Directives):

1. **तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी:** Class-III (Group 'C') तथा Class-IV (Group 'D') के कर्मचारियों से किसी भी प्रकार के गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान की वसूली कानूनन वर्जित है।
2. **सेवानिवृत्त कर्मचारी:** सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों या जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष का समय शेष हो, उनसे वसूली नहीं की जा सकती।
3. **5 वर्ष से अधिक पुराना भुगतान:** यदि गलत भुगतान वसूली का आदेश जारी होने की तिथि से 5 वर्ष से अधिक समय पूर्व किया गया हो, तो उसकी वसूली वर्जित है।
4. **उच्च पद का दायित्व:** जहाँ कर्मचारी से गलती से उच्च पद का कार्य कराया गया हो और तदनुसार वेतन दिया गया हो, उससे वह राशि वापस नहीं ली जा सकती।
5. **अत्यधिक कठोरता एवं स्वेच्छाचारिता:** अन्य कोई भी स्थिति जहाँ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वसूली करने से कर्मचारी पर पड़ने वाला कष्ट, नियोक्ता के वसूली के अधिकार के संतुलन से अत्यधिक भारी होगा।

(B) जोगेश्वर साहू निर्णय (Jogeswar Sahoo v. District Judge, Cuttack - 2025) का विश्लेषण

मा० सर्वोच्च न्यायालय ने 04 अप्रैल 2025 को दिए गए अपने नवीनतम निर्णय में **शेट्टी कमीशन** की सिफारिशों के तहत आहरित अतिरिक्त बकाया राशि की वसूली को रद्द करते हुए पुनः स्पष्ट किया कि:

- यदि कर्मचारी द्वारा कोई **धोखाधड़ी (Fraud)** या **गलत तथ्य (Misrepresentation)** प्रस्तुत न किया गया हो, तो नियोक्ता द्वारा नियमों के गलत अर्थ निकालने के कारण हुए भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती।

- **प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (Principles of Natural Justice):** कर्मचारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना और एकपक्षीय रूप से वसूली का आदेश जारी करना असंवैधानिक है।
- कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन को अपने परिवार के पालन-पोषण में व्यय कर दिया जाता है, अतः वर्षों बाद वसूली का आदेश साम्या के विरुद्ध है।

4. याचिकाकर्ता (रूपेन्द्र सिंह शाक्य) के मामले में नज़ीरों का समाकलन

उपरोक्त सभी नज़ीरों के कानूनी सिद्धांतों को याचिकाकर्ता के मामले पर लागू करने पर निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं:

1. **श्रेणी-3 कर्मचारी का संरक्षण:** याचिकाकर्ता राजस्व लेखपाल है जो श्रेणी-3 (Class-III / Group 'C') कर्मचारी की श्रेणी में आता है। रफ़ीक मसीह निर्णय के नियम (i) के अनुसार उससे वसूली पूर्णतः असंवैधानिक है।
2. **15 वर्ष पुराना भुगतान:** कथित अतिरिक्त आहरण वर्ष 2009 से 2024 तक (लगभग 15 वर्ष) का बताया जा रहा है। रफ़ीक मसीह निर्णय के नियम (iii) के अनुसार 5 वर्ष से अधिक पुराने किसी भी भुगतान की वसूली प्रतिबंधित है।
3. **धोखाधड़ी/कूटरचना का अभाव:** याचिकाकर्ता द्वारा वेतन आहरण हेतु कोई भी असत्य सूचना या कूटरचना नहीं की गई। वेतन का भुगतान राजस्व विभाग के कार्यालय द्वारा स्वतः किया गया, अतः जोगेश्वर साहू एवं साहिब राम के निर्णयों के अनुसार याचिकाकर्ता निर्दोष है।
4. **अपील का लंबित होना:** दंड आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें (अनुच्छेद 11, उ०प्र० सरकारी सेवक नियमावली 1999) अपीलीय प्राधिकारी/जिलाधिकारी के समक्ष अभी भी लंबित हैं। अपीलों का निर्णय हुए बिना सीधा वसूली नोटिस जारी करना मनमाना एवं अवैध है।

यह दस्तावेज मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत सिविल मिस. रिट याचिका वर्ष 2026 में संलग्न नज़ीरों के विधिक विश्लेषण हेतु तैयार किया गया है।